न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/234

1. मुरलीधर आत्मज रामनाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. मुकुट बिहारी पुत्र स्व0 मुरलीधर ।
   1/2. दिनेश चन्द पुत्र स्व0 मुरलीधर ।
   1/3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मुरलीधर ।
   1/4. रामावतार पुत्र स्व0 मुरलीधर ।
   1/5. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर ।
   1/6. मोहन बाई पुत्री स्व0 मुरलीधर ।
   1/7. सावित्री बाई पुत्री स्व0 मुरलीधर जाति महाजन निवासीगण सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीधर आत्मज रामनाथ जाति महाजन निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवासी 221–ए, तलवण्डी, कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक मुरलीधर ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेरूला तहसील दीगोद जिला कोटा में खतौनी संख्या 53 में 215 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । न्यायालय सहायक कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 02.04. 1976 के तहत वादी को 45 स्टेण्डर्ड एकड भूमि रखने का आदेश दिया है जिसके तहत वादी ने ग्राम खेरूला की उसके 1/2 हिस्से की आराजी 107 बीघा 11 बिस्वा जो 38.64 स्टेण्डर्ड एकड बनती है । प्रतिवादी के विरूद्ध सहायक कलक्टर, कोटा द्वारा दिनांक 01.05.1975 के निर्णय के तहत 46.45 स्टेण्डर्ड एकड भूमि राज्य सरकार के हक में सरेण्डर करने का विकल्प

पेश करने का आदेश दिया । जिसकी पालना में प्रतिवादी क्रम 1 ने अन्य आराजी को छोडते हुए ग्राम खेरूला की शामलाती खाते की भूमि में से खसरा नम्बर 65 की 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 की 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 300 की 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि राज्य सरकार के हक में सरेण्डर कर देने के उपरान्त 215 बीघा 01 बिस्वा में से 70 बीघा प्रतिवादी भूमि लेने का अधिकारी है । पुराने सीलिंग कानून के तहत प्रतिवादी 60 स्टेण्डर्ड एकड से ज्यादा भूमि अपने पास नहीं रख सकता । प्रतिवादी की नीयत में बदयान्ति आ जाने से वादी की भूमि में मदाखलत व मजाहमत करने की कोशिश करता है । प्रतिवादी से वादी के 1/2 हिस्से की आराजी 107 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने को कहा व प्रतिवादी को केवल 70 बीघा भूमि पर काश्त करने हेतु कहा परन्तु इस पर वह तैयार नहीं हुआ ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/2 हिस्से की आराजीयात 107 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बंटवारा किया जाकर अलग खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे । विभाजन की डिक्री के अनुसार 107 बीघा 11 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.1986 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए निर्देशित किया कि तहसीलदार सीलिंग कार्यवाही प्रतिवादी को खातेदार मानकर पुनः रिओपन करे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.1986 से व्यथित होकर वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.1991 प्रकरण सशर्त स्वीकार करते हुए विभाजन सम्बन्धी वाद प्रकरण को नये सिरे से निर्णित करने का आदेश पारित किया ।

7. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.1991 से व्यथित होकर वादी मृतक मुरलीधर व प्रतिवादी बंशीधर ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.09. 1994 के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय को बहाल रखते हुए प्रकरण सहायक कलक्टर, कोटा को प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए ग्राम खेरूला तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 22, 32, 52, 57, 65, 76, 84, 97, 102, 122, 171, 188, 225, 300 कुल किता 14 रकबा 215 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाकर वादी के हिस्से की भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 के नाम पर दर्ज किये जाने तथा हाल खसरा नम्बरान जो वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 की सहखातेदारी में दर्ज हो पर से वादी का नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 से व्यथित होकर वादी मृतक मुरलीधर के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा न्यायालय में अपील डिक्री 99/87 में दिनांक 30.09.1991 को दिये गये निर्णय के पैरा नम्बर 02 पेज नं0 03 पर दिये गये निर्णय रेस्पोडेन्ट द्वारा मुरलीधर से मिलकर राज्य सरकार को कम भूमि सरेण्डर की तथा पैरान 03 में ग्राम पंचायत को धारा 53 (4) के अनुसार बंटवारे का अधिकार नहीं माना गया इसी कारण इंतकाल का अमल नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना तथा उन पर विवेचन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में सीलिंग कार्यवाही में वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की बताकर लाभ प्राप्त किया तथा कम भूमि सरेण्डर की तथा विभाजन में इस वाद में उल्टी जवाबदेही की । इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो सीलिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट की जवाबदेही, निर्णय तथा सीलिंग में भूमि कम सरेण्डर करना आदि पर विचार तक नहीं कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 30.09.1991 के विपरीत निर्णय पारित किया है । इस निर्णय के पैरा संख्या 02 पेज नं0 03 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने यह माना है कि रेस्पोडेन्ट ने मुरलीधर से मिलकर राज्य सरकार को कम भूमि सरेण्डर की तथा पैरा 03 में ग्राम पंचायत को धारा 53 (4) के अनुसार बंटवारे का अधिकार नहीं माना गया इसी कारण इंतकाल का अमल नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.09.1994 के निर्देशों की पालना नहीं की है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के पैरा संख्या 11 में यह माना है कि रेस्पोडेन्ट ने सीलिंग कार्यवाही में वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की बताकर कम भूमि सरेण्डर की तथा बंटवारे के इस वाद में इसके विपरीत जवाबदेही की। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सीलिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट की जवाबदेही, निर्णय तथा सीलिंग में भूमि कम सरेण्डर करने के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं लिखा । आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात पेश किये गये हैं जिसमें रेस्पोडेन्ट के पुत्रों व पत्नी ने विवादित भूमि पुश्तैनी तथा बंशीधर व मुरलीधर की संयुक्त खातेदारी की बताकर घोषणा व विभाजन का वाद अधीनस्थ में किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 ने भूमि संयुक्त खातेदारी की स्वीकार की है इन दस्तावेजों पर बिना विचार किये निर्णय पारित किया है । तनकीयात का निर्णय विधि सम्मत रूप से नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है जिसमें अपीलान्टगण का 1/2 हिस्सा निहित है । सीलिंग की कार्यवाही में भूमि को संयुक्त खाते की बताया है पंचायत को आराजी का विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट के काउन्टर क्लेम के वादग्रस्त आराजी से वादीगण का नाम हटाकर प्रतिवादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं जो विधि–विरूद्ध है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान की कई गॉवों में भूमि थी जिनका विभाजन सहमति के आधार पर करवाया गया था अन्य गॉवों की आराजी अलग–अलग खातों में दर्ज हो गयी है परन्तु इस वादग्रस्त आराजी में नामान्तरकरण का अमल दरामद नहीं हो पाया । यदि वादी आराजी का विभाजन कराना चाहते हैं तो समस्त गॉवों की आराजी का बंटवारा कराया जाना चाहिए न कि किसी एक गॉव की आराजी का । ग्राम पचांयत के द्वारा जो नामान्तरकरण खोला गया है उसमें सहमति स्वरूप अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं जिसके खिलाफ कोई कथन करने से वह एस्टोप्ड हैं । बंटवारे के दावे में सीलिंग का निर्णय नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में बंटवारे के आधार पर दावा वादी खारिज किया है । इसी कारण प्रतिवादीगण के खाते बांधने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2016 आरबीजे पेज 438, 2008 (3) आरएलडब्ल्यू पेज 2087, आरबीजे (16)2009 पेज 687 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 25.10.1994 की प्रमाणित प्रति संलगन है जिसमें दोनों अपीलें खारिज की गई हैं और यह निर्देश दिये गये हैं कि मुरलीधर वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनको रिकॉर्ड पर लेकर प्रकरण सहायक कलक्टर को शहादत लेकर निर्णय पारित करेन हेतु रिमाण्ड किया है और प्रतिवादी बंशीधर को इन दस्तावेजों की तरदीदी में दस्तावेजात पेश करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं । इस निर्णय में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के द्वारा यह माना गया है कि प्रतिवादी अपीलान्ट ने दोनों तरह की कार्यवाही की है । सीलिंग की कार्यवाही के दौराने उसने आराजी को संयुक्त खाते की बताया है और जब वादी ने बंटवारे का दावा किया है तो उसमें उसे स्वयं की तन्हा खाते की बताया है । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.1991 की प्रति भी संलग्न है जिसमें अपीलान्ट मुरलीधर की अपील सशर्त स्वीकार की गई है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि विभाजन सम्बन्ध दावे का निर्णय नये सिरे से करें । इस निर्णय में धारा 53 के तहत बंटवारे सम्बन्धी अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होना माना गया है । इस निर्णय में यह भी माना गया है कि सीलिंग सम्बन्धी प्रकरण में दोनों पक्षकारों ने मिली भगत करके आराजी को संयुक्त खाते की बताकर कम भूमि सरेण्डर की है । निर्णय में मुरलीधर को अण्डरटेकिंग देने के निर्देश भी दिये गये है। पत्रावली में निर्णय दिनांक 31.10.1986 भी संलग्न है जिसके अनुसार दावा वादी खारिज किया गया है जिसमें वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं और सीलिंग कार्यवाही में प्रतिवादी को खातेदार मानकर रिओपन करने के आदेश दिये गये हैं । पत्रावली पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 17.11.1977 भी संलग्न है जिसके अनुसार अपील खारिज की गई है ।

14. बयानों में बंशीधर डी.डब्ल्यू.– 1 प्रतिवादी मुरलीधर वादी कराऐ हैं ।

15. निर्णय दिनांक 30.06.1976 सहायक कलक्टर एवं प्राधिकारी अधिकारी सीलिंग प्रदर्श– 2, प्रार्थना पत्र द्वारा बंशीधर अन्तर्गत सीलिंग कार्यवाही प्रदर्श– 4 जिसमें उन्होंने इस आराजी में मुरलीधर का हिस्सा बराबर का बताया है ।

16. दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 42 प्रदर्श– ए–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 प्रदर्श– ए–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 प्रदर्श – ए– 3, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श– ए–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श– ए– 6, नकल नामान्तरकरण संख्या 36 प्रदर्श– ए–7 संलग्न हैं ।

17. पत्रावली पर ग्राम चैनपुरिया की कुछ जमाबन्दियॉ भी संलग्न है जिन पर कोई प्रदर्श नम्बर अंकित नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 27.08.2015 प्रकरण संख्या डीबी स्पेशल अपील संख्या 569/1996 की प्रति संलग्न है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने के पूर्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 01.09.1994 के निर्देशों की पालना नहीं की है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने और प्रतिवादी बंशीधर को तरदीदी दस्तावेज पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये हैं । जबकि न तो पत्रावली में वो दस्तावेज संलग्न है और न ही प्रतिवादी बंशीधर के द्वारा पेश किये गये तरदीदी दस्तावेज ही संलग्न है । साथ ही इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.09.91 जिसे कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा यथावत रखा गया था में यह माना गया था कि पंचायत के द्वारा जो बंटवारे के बाबत् नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था वह कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है । इस निर्णय में यह भी माना गया था कि सीलिंग सम्बन्धी प्रकरण में दोनों पक्षकारों ने मिली भगत करके राज्य सरकार को सरेण्डर की जाने वाली भूमि कम करने के उद्देश्य से इस आराजी को संयुक्त खाते की बताया है । इस निर्णय में मुरलीधर अपीलान्ट के द्वारा शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग दिये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं जिनकी पालना भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रिमाण्ड निर्देशों की पालना किये बिना यह निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के वादग्रस्त आराजी से वादीगण का नाम विलोपित करने का निर्णय दिया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.94 एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.1991 में जो निर्देश प्रदान किये गये हैं उनकी पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा